रा.मु.अ. 33-4-2000-10 लाख फा.

A P P-A
crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अजलत: SDO बांसवाड़ा मुकाम: बांसवाड़ा (राज.)

श्री हुमला पिता रूपा भील निवासी पिपलाई तह. बांसवाड़ा बनाम श्री चुन्नीलाल पिता प्रभुलाल चौबिसा आदि [illegible] निवासी बांसवाड़ा

किस्म मुकदमा: धारा 88 RTAct नं. 80/04 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/8/04	पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर पेश हुई। वादी श्री हुमला पिता रूपा भील निवासी पिपलाई ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 RTAct प्रतिवादीगण श्री चुन्नीलाल पिता प्रभुलाल चौबिसा वगैरह निवासी बांसवाड़ा के विरुद्ध पेश किया। प्रतिवादीगण के नाम नोटिस जारी हो पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 29-9-04 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)	
1/9/04	पत्रावली वादी उपस्थित / प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं। जवाब दाखिल हेतु नहीं आये [illegible] राजकीय [illegible] पेश हो पत्रावली दिनांक [illegible] पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 16:42:42 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.1.23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उप० आये। पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया तथा प्रा. पक्ष विद्वान अधिवक्ता मुख्य पक्ष पर गौर करने के उपरान्त वाद वादी स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी है। पत्रावली फैसल शुदा है नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:42 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बाइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या– 88/2004

दायर दिनांक–19/08/2004

उनवान

स्व. हुमला पुत्र रूपा भील निवासी पीपलोद जिला बांसवाड़ा के वारिसान
1/1. दीपा पुत्र स्व. हुमला जाति भील उम्र वयस्क
1/2. बहादुर पुत्र स्व. हुमला जाति भील उम्र वयस्क
1/3. श्रीमती जीवा पत्नी हुमला जाति भील उम्र वयस्क
समस्त निवासीयान पीपलोद तह0 बांसवाड़ा।

(वादीगण)

बनाम

1. स्व.चुन्नीलाल पुत्र प्रभुलाल चौबिसा
2. स्व. भवानीशंकर पुत्र प्रभुलाल चौबिसा
3. स्व. विश्वनाथ पुत्र हैतलाल
4. स्व. गंगाशरण पुत्र हिम्मतराम जी
5. स्व. गौरीशंकर पुत्र आन्नदराम जी
6. स्व. रेवाशंकर पुत्र आन्नदराम जी

समस्त जाति ब्राहाम्ण के वारिस
1–6/1. अमित व्यास पिता चन्द्रशेखर व्यास जाति ब्राहाम्ण निवासी औदिच्यवाड़ा तह0 व जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. तहसीलदार बांसवाड़ा

(प्रतिवादीगण)

उपस्थिति

1. श्री यशपाल गुप्ता — **अधिवक्ता वादीगण**
2. श्री राजकुमार जैन — **अधिवक्ता प्रतिवादी**

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

वाद अंतर्गत धारा– 88, आर.टी एक्ट

निर्णय

दिनांक:–16.01.2023

संक्षेप में वाद–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी खाता सं. 39 नया 26 पुराना के खसरा नं. 212 रकबा 02–03 बीघा ग्राम पीपलोद पटवार मण्डल क्षेत्र लोधा मे स्थित हैं। वादी काबिज काश्त लम्बे अरसे से होकर नियमानुसार लगान अदा करवा रहा है। उक्त प्रश्नगत आराजी पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा. काश्त नहीं रहा है।

प्रश्नगत खसरा नम्बर के संबंध में धारा 20(1) आर.टी.एक्ट. में कार्यवाही हुयी जिसमें प्रकरण सं. 181/61 में फरिकेन के मध्य आपसी तसफीया होने वादीगण के [illegible]ति हुमला वल्द रूपा को खातेदारी अधिकारी बनाया गया राजस्व रिकार्ड में हुमला का नाम अंकि[illegible] हुआ जबकी वादीगण पूर्वजों के समय से ही 50 वर्षो से काबिज काश्त [illegible] खातेदारी अधिकार धारा 63(4) आर.टी.एक्ट में समाप्त हो गये है एवं वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार [illegible] खातेदारी के पात्र है।

अतः वाद वादी स्वीकार फरमा उक्त प्रश्नगत आराजी के खातेदार, वादीगण को घोषित कर राजस्व अभिलेख में अंकन की डिक्री फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 16:42:42 IST
Reason: SelfAttested

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण के जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामिल नहीं लौटने पर रजि.एडी. सम्मन तलबाना के आदेश दिये गये। परन्तु वादीगण ने सम्मन समाचार–पत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रार्थना –पत्र 09.12.2005 को पेश किया जिसे स्वीकार कर बाद प्रकाशन समाचार पत्र की प्रति प्रस्तुत करने हेतु के आदेश हुये। दिनांक 16.01.2006 को अमित कुमार व्यास ने प्रार्थना पत्र बाबत् प्रतिवादीगणों की मृत्यु सूचना हेतु बिना दस्तावेजी साक्ष्य के प्रस्तुत किया जिस पर 23.02.2008 को अमित व्यास को पक्षकार बनाया गया । प्रतिवादी अमित व्यास ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया।

पत्रावली पर निम्न तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्यवादी पर नियत की गयी ।

तनकी संख्या 1.

"आया वादीगण खाता संख्या 39 नया 26 पुराना के खेत सर्वे नं. 212 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम पिपलोद पर वादीगण बापदादा के समय से काबिज होकर काश्त कर रहे है। व वर्तमान में कब्जा काश्त वादीगण का है। व नियमानुसार लगान अदा कर रहे है। (वादीगण)

तनकी संख्या 2.

"आया वादग्रस्त खेत संवत् 1988 में वादीगण शिकमी काश्तकार होकर काबिज रहे है। तथा धारा–20(1) आर.टी.एक्ट में प्रकरण सं. 181/61 में आपसी तसफीया से वादीगण हुमला को खातेदारी अधिकार प्रदत्त हुए किन्तु रैवेन्यु रेकार्ड में इन्द्राज नहीं हुआ । वादीगण बाप दादा के वक्त से 50 वर्षो से अधिक समय से काबिज होने के कारण खातेदार घोषित होने के पात्र है।" (वादीगण)

तनकी संख्या 3.

"आया प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार धारा 63(4) आर.टी.एक्ट में समाप्त हो चुके है व वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।" (वादीगण)

तनकी संख्या 4.

"वाद व्यवहार कारण वादीगण द्वारा जून 2004 पटवारी रिकार्ड देखने से उत्पन्न हुआ।" (प्रतिवादी)

तनकी संख्या 5.

"आया सभी प्रतिवादीगण की मृत्यु दावा करने से पूर्व हो चुकी थी। प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 के उत्तराधिकारियों को पक्षकार न बनाने से दावा काबिल खारजी है।" (प्रतिवादी)

तनकी संख्या 6.

"आया अमित कुमार का जन्म भवानीशंकर के जीवनकाल में नहीं ह[illegible] बपौती जायदाद में उसके अधिकार उत्पन्न नही होने है।(वादीगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:42 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्तावादी द्वारा 30.09.2009 को वादी के फौत हो जाने पर प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 बाबत् कायम वारिसान पेश किये। जिसे 06.03.12 को स्वीकार कर वारिसान को द्वारा संशोधित शीर्षक रिकार्ड पर लिये गये। साक्ष्यवादी हेतु दीपा पुत्र हुमला , श्रीमती जीवा पत्नी हुमला व थावरा पिता जीवा के शपथ पत्र पेश हुये जो शामिल मिसल है। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा गवाह श्रीमती जीवा से जिरह कर साक्ष्यवादी 28.08.15 को बंद की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

प्रतिवादी नियत की गयी। प्रतिवादी साक्ष्य हेतु 10.03.21 को बंद कर पत्रावली अंतिम बहस मुकर्रर हुयी।

पत्रावली पर अंतिम बहस उभयपक्षकारान सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने वाद–पत्र के अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि मुल पुरूष जीवा वल्द भेमजी शिकमी काश्तकार था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा से धारा 20(1) आर.टी.एक्ट में हुमला को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं हुआ है। हम 50 वर्षो से अधिक काबिज काश्त है। प्रतिवादी के खातेदारी अधिकार धारा 63(4) आर.टी.एक्ट में समाप्त हो चुके है। हमारा कब्जा टिनेन्सी अधिकार के प्रभाव में 15.10.1955 आने से पूर्व ही कब्जा काश्त है। अतः वाद स्वीकार फरया प्रश्नगत आराजी पर हमें खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अंकन की डिक्री फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे को ही बहस में शुमार करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक आद्योपान्त अवलोकन कर गहन अध्ययन किया तथा बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर गौर किया। वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–1 फर्द अहकाम, प्रदर्श–2 प्रपत्र अ, प्रदर्श–4 गिरदावरी संवत् 2010 से 2013 , 2014–17, 2018–21, 2022–25, 2026–29, व 2030–33, प्रदर्श–3 डिक्री प्रस्तुत की।, प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।

पत्रावली पर निर्णय हम तनकीवार करना उचित समझते है।

<u>तनकी संख्या 1.</u>

"आया वादीगण खाता संख्या 39 नया 26 पुराना के खेत सर्वे नं. 212 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम पिपलोद पर वादीगण बापदादा के समय से काबिज होकर काश्त कर रहे है। व वर्तमान में कब्जा काश्त वादीगण का है व नियमानुसार लगान अदा कर रहे है।

उक्त तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था।

प्रमाण के रूप में वादीगण ने प्रदर्श–1 फ़र्द अहकाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा, प्रपत्र अ व डिक्री क्रमशः प्रदर्श 2 व 3 तथा काश्त प्रमाणित हेतु गिरदावरी संवत् 2010–33 प्रदर्श 4 के रूप में पेश की। गिरदावरी में खसरा नम्बर 212 रकबा 02–03 बीघा के कॉलम संख्या–5 में चुन्नीलाल वगैराह के साथ रूपा का नाम अंकित है। प्रदर्श–1,2,3 के अनुसार रूपा ने मुआवजे बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया और उसके पक्ष में डिक्री हुयी परन्तु डिक्री अनुसार कब्जे का कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादीगण द्वारा पेश नहीं किये गये साथ ही लगान अदायगी की कोई रसीद भी पेश नहीं की गयी जिसे वादीया जीवा ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 16:42:42 IST
Reason: SelfAttested

निष्कर्षतः तनकी संख्या 1 आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में इस प्रकार निर्णित जाती है। कि वे प्रश्नगत आराजी पर शिकमी के रूप में काश्तरत थे।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

तनकी संख्या 2.

"आया वादग्रस्त खेत संवत् 1988 में वादीगण शिकमी काश्तकार होकर काबिज रहे है। तथा धारा–20(1) आर.टी.एक्ट में प्रकरण सं. 181/61 में आपसी तसफीया से वादीगण हुमला को खातेदारी अधिकार प्रदत्त हुए किन्तु रैवेन्यु रेकार्ड में इन्द्राज नहीं हुआ । वादीगण बाप दादा के वक्त से 50 वर्षो से अधिक समय से काबिज होने के कारण खातेदार घोषित होने के पात्र है।"

उक्त तनकी सिद्व करने के का भार वादीगण पर था। प्रमाण के रूप में वादीगण ने प्रदर्श–1 फर्द अहकाम, प्रदर्श–2 प्रपत्र अ व प्रदर्श–3 डिक्री पेश की। यह तनकी भी आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है। कि वे शिकमी काश्तकार थे।

तनकी संख्या 3.

"आया प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार धारा 63(4) आर.टी.एक्ट में समाप्त हो चुके है व वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।"

उक्त तनकी सिद्व करने का भार वादीगण पर था। इस तनकी का प्रमाणित करने हेतु वादीगण ने कब्जा प्राप्त का साक्ष्य, मुआवजे की राशि चुकाने की रसीद, लगान इत्यादि की रसीदे पेश नहीं की।

अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है

तनकी संख्या 4.

"वाद व्यवहार कारण वादीगण द्वारा जून 2004 पटवारी रिकार्ड देखने से उत्पन्न हुआ।"

उक्त तनकी वादीगण को प्रमाणित करनी थी। प्रमाण के रूप में वादीगण द्वारा जून 2004 में जारी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जो प्रश्नगत आरजी से संबंधित हो।

अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्व निर्णित कर जाती है।

तनकी संख्या 5.

"आया सभी प्रतिवादीगण की मूत्यु दावा करने से पूर्व हो चुकी थी। प्रतिवादी नम्बर 1 से 6 के उत्तराधिकारियों को पक्षकार न बनाने से दावा काबिल खारजी है।"

यह तनकी प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी ने प्रति. सं. 1 लगा. 6 की को प्रमाणित करने की, मूत्यु दावा संस्थित करने से पूर्व हुयी अथवा बाद में तथा उनके बाद में, कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया तथा इनके विधिक वारिसान कौन है। इसका भी प्रमाण पेश नहीं किया ।

अतः यह तनकी प्रतिवादी कि विरूद्व निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:42 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 6.

"आया अमित कुमार का जन्म भवानीशंकर के जीवनकाल में नहीं हुआ है अतः बपौती जायदाद में उसके अधिकार उत्पन्न नही होने है।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

यह तनकी प्रतिवादी को प्रमाणित करनी थी। प्रतिवादी अमित कुमार के जन्म एवं मृत प्रतिवादीगण 6) के संबंध में कोई प्रमाणिक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 7. अनुतोष

उक्त तनकी का निर्णय समग्र विवेचना बाद किया जावेगा।

कायम तनकीयात पर निर्णय उपरान्त समग्र रूप से जाहिर होता है कि मुल पुरूष जीवा वल्द भेमजी शिकमी काश्तकार था तथा धारा 20(1) आर.टी.एक्ट में हुमला को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्यों तथा मौखिक साक्ष्यों के वादीगण के पक्ष होने से वादी–वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

निष्कर्षतः उक्त समग्र विवेचना एवं हस्तगत प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने के उपरान्त एवं उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा द्वारा निर्णित प्रकरण सं. 181/61 अन्तर्गत धारा 20(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार स्वीकार किया जाना उचित है

–::आदेश::–

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आराजी खाता सं. 39 नया 26 पुराना खसरा नम्बर 212 रकबा 02–03 बीघा ग्राम पीपलोद पटवार क्षेत्र लोधा पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तद्अनुसार डिक्री पर्चा जारी होकर निर्णय के साथ संलग्न हो।

निर्णयमय डिक्री की सत्यप्रति तहसीनदार बांसवाड़ा को वास्ते नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

16/1/23

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:42 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी, मुकामः बांसवाडा व इजलासः प्रकाश चन्द्र रेगर(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 88/2004

उनवान मुकदमा

स्व. हुमला पुत्र रूपा भील निवासी पीपलोद जिला बांसवाड़ा के वारिसान
1/1. दीपा पुत्र स्व. हुमला जाति भील उम्र वयस्क
1/2. बहादुर पुत्र स्व. हुमला जाति भील उम्र वयस्क
1/3. श्रीमती जीवा पत्नी हुमला जाति भील उम्र वयस्क
समस्त निवासीयान पीपलोद तह0 बांसवाड़ा। **(वादीगण)**

बनाम

1. स्व.चुन्नीलाल पुत्र प्रभुलाल चौबिसा
2. स्व. भवानीशंकर पुत्र प्रभुलाल चौबिसा
3. स्व. विश्वनाथ पुत्र हैतलाल
4. स्व. गंगाशरण पुत्र हिम्मतराम जी
5. स्व. गौरीशंकर पुत्र आन्नदराम जी
6. स्व. रेवाशंकर पुत्र आन्नदराम जी
समस्त जाति ब्राहाम्ण के वारिस
1–6/1. अमित व्यास पिता चन्द्रशेखर व्यास जाति ब्राहाम्ण निवासी औदिच्यवाड़ा
तह0 व जिला बांसवाड़ा (राज.) **(प्रतिवादी)**
7. तहसीलदार बांसवाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः– 16.01.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आराजी खाता सं. 39 नया 26 पुराना खसरा नम्बर 212 रकबा 02–03 बीघा ग्राम पीपलोद पटवार क्षेत्र लोधा पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। इस अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावें।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 16.0[illegible]23 [illegible] जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:42 IST
Reason: SelfAttested

(प्रकाश चन्द्र रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्ववायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

16/1/23

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:42 IST
Reason: SelfAttested